| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्ष | आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 11/09/19 | **न्यायालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,गढ़वा**<br>अधिग्रहण वाद संख्या 6/2015–16<br>अनुमण्डल पदाधिकारी,गढ़वा<br>बनाम<br>नीजू प्रसाद<br>आदेश<br>यह वाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी,गढ़वा के पत्रांक 345/आ0,दिनांक 10.4.2015 एवं उसके साथ प्राप्त अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा के पत्रांक 223 दिनांक 11.3.2015 जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के उपखण्ड 06 A के तहत जब्त की गई सामग्री का अधिग्रहण करने से संबंधित है , पर प्रारम्भ किया गया है । वाद का विषय वस्तु जब्त 8 (आठ) बोरा चावल प्रति बोरा 50 किलोग्राम के हिसाब से कुल 4(चार)क्विंटल चावल का अधिग्रहण करने से संबंधित है ।<br>अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा के पत्र संख्या 223 /आ0 दिनांक 11.3. 2015 जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी गढ़वा के पत्रांक 345/आ0 दिनांक 10.4. 2015 से प्राप्त है, में निहित तथ्य के अनुसार दिनांक 10.3.2015 को मेराल प्रखंड के गोन्दा ग्राम क्षेत्र में एन0एच0 75 पक्की सड़क के किनारे श्री मुन्ना साव के घर के सामने एक सफेद रंग का पिक अप वैन की जॉच की गई जिसमें 8 (आठ)वैग चावल लगभग 4 (चार)क्विंटल पाया गया । सभी 8 (आठ)बैग में मशीन की सिलाई FC। एवं मिल का टैग लगा हुआ था । उक्त पत्र में निहित तथ्य के अनुसार पिक अप वैन में चावल से संबंधित कोई कागजात नही पाया गया ।<br>विपक्षी को सूचना निर्गत किया गया । विपक्षी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल न कर सीधे लिखित बहस दाखिल किया गया । लिखित बहस में उनका कहना है कि वे जन वितरण प्रणाली का अनुज्ञप्तिधारक नही है । विपक्षी डंडई में व्यवसाय करते हैं तथा गढ़वा से चावल लाकर डंडई में विकी करते हैं विपक्षी दिनांक 10.3.2015 को कृषि उत्पादन बाजार समिति गढ़वा से चावल खरीदकर वाहन से डंडई ले जा रहे थे । रास्ता में वाहन खराब हो जाने के कारण एन0 एच0–75 पर मुन्ना साव के घर के पास गाड़ी खड़ा करके गाड़ी का सामान लेने गढ़वा आ गए । इसी बीच प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी मेराल द्वारा उक्त वाहन एवं चावल को जब्त कर लिया गया । अपने लिखित बहस में उन्होने अधिहरण वाद को समाप्त करने हेतु अनुरोध किया है ।<br>सरकारी विज्ञ अधिवक्ता एवं विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता सुनवाई हेतु अनुपस्थित रहे । चूँकि विपक्षी द्वारा लिखित बहस दाखिल किया जा चुका है फलस्वरूप अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर आदेशार्थ रखा गया ।<br>अभिलेख के साथ संलग्न जिला आपूर्ति पदाधिकारी गढ़वा के पत्रांक 345 दिनांक 10.4.2015, अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा के पत्रांक 223 दिनांक 11.3.2015 जिसके द्वारा अधिग्रहण प्रस्ताव प्राप्त है एवं संलग्न अन्य कागजातों के साथ–साथ विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित बहस में निहित तथ्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जब्त चावल जन वितरण प्रणाली का प्रतीत होता है चूँकि | |

अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा के पत्रांक 223 दिनांक 11.3.2015 में स्पष्टतः उल्लेख है कि पिक अप वैन में 08 (आठ)वैग चावल लगभग 04 (चार)क्वींटल पाया गया । सभी 08 वैग में मशीन की सिलाई, FC। एवं मिल का टैग लगा हुआ था । जहां तक विपक्षी का लिखित तर्क में यह कथन कि विपक्षी डंडई में व्यवसाय करते है एवं गढ़वा से चावल इत्यादि ले जाकर डंडई में विक्री करते है,भ्रामक एवं निराधार प्रतीत होता है । इतना ही नहीं अपने लिखित बहस में उनका यह भी कथन कि दिनांक 10.3.2015 को कृषि उत्पादन बाजार समिति गढ़वा से चावल खरीदकर विपक्षी वाहन से डंडई ले जा रहे थे, उपयुक्त नही कहा जा सकता है । चूँकि उनके द्वारा कृषि उत्पादन बाजार समिति गढ़वा से कय करने संबंधी कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

इस प्रकार सम्पूर्ण तथ्यों पर विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि जब्त चावल पर विपक्षी द्वारा किया जा रहा दावा निराधार एवं भ्रामक प्रतीत होता है । फलतः उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य में जब्त 8 (आठ) बोरा चावल वजन 4 (चार)क्वींटल का राज्य सात करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा को आदेश दिया जाता है कि जब्त चावल यदि किसी भी अभिरक्षा में सुरक्षित है तो इसका वितरण जन वितरण प्रणाली के माध्यम से बी0पी0एल0/अंत्योदय उपभोक्ता के बीच कराकर प्राप्त राशि को जिला नजारत में एक पक्ष के अंदर जमा करावें अन्यथा यदि पूर्व में उक्त जब्त सामग्री का निलामी/बिक्री कर प्राप्त राशि सरकारी खजाने में जमा किया गया हो तो उक्त राशि का राज्यसात किया जाता है ।

लेखापित एवं संशोधित

11/09/19

उपायुक्त – सह–
जिला दंडाधिकारी, गढवा

11/09/19

उपायुक्त –सह–
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।

Digitally signed by SHEKHAR JAMUAR
Date: 2024.06.15 12:01:10 +05:30
Location: 192.168.43.218